न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 118/2022 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/400**
दायर दिनांक :– 09.06.2022 **निर्णय दिनांक :– 22.12.2024**

1. मदनसिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपूत निवासी बावड़ी बरसिंगा तहसील बाप जिला फलोदी
2. सोहनसिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपूत निवासी बावड़ी बरसिंगा तहसील बाप जिला फलोदी

–वादी

बनाम

1. खेतसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी बावड़ी बरसिंगा तहसील बाप जिला फलोदी
2. जेठूसिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपूत निवासी बावडत्री बरसिंगा तहसील बाप जिला फलोदी
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप
3. श्री राणीदानसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी

–:: निर्णय ::–

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम बावड़ी बरसिंगा पटवार क्षेत्र बडीसिड तहसील बाप में खसरा नम्बर 214/3 रकबा 48–00 बीघा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादगस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 की और से वकील श्री राणीदानसिंह ने वकालतनामा व इकबालिया जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की बहस सुनकर ग्राम बावड़ी बरसिंगा पटवार क्षेत्र बडीसिड तहसील बाप में खसरा नम्बर 214/3 रकबा 48–00 बीघा भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्ष ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिक डिकी जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिकी अनुसार तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम बावड़ी बरसिंगा पटवार क्षेत्र बडीसिड तहसील बाप में खसरा नम्बर 214/3 रकबा 7.7700 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :–

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा / हैक्टयर	किस्म
1	मदनसिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार	बावड़ी बरसिंगा	214/3	1.9425 हैक्टेयर	बी–4
2	खेतसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार	बावड़ी बरसिंगा	214/3	1.9425 हैक्टेयर	बी–4
3	सोहनसिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार	बावड़ी बरसिंगा	214/3	1.9425 हैक्टेयर	बी–4
4	जेठूसिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार	बावड़ी बरसिंगा	214/3	1.9425 हैक्टेयर	बी–4

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 2 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/12/24

(सुखराम पिण्डेल आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी
पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. मदनसिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपूत निवासी बावड़ी बरसिंगा तहसील बाप जिला फलोदी
2. सोहनसिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपूत निवासी बावड़ी बरसिंगा तहसील बाप जिला फलोदी

—वादी

बनाम

1. खेतसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी बावड़ी बरसिंगा तहसील बाप जिला फलोदी
2. जेठूसिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपूत निवासी बावडी बरसिंगा तहसील बाप जिला फलोदी
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 118/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर मदनसिंह भाटी मिनजानिब मुदई व राणीदानसिंह मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि राजस्व ग्राम बावड़ी बरसिंगा पटवार क्षेत्र बडीसिड तहसील बाप में खसरा नम्बर 214/3 रकबा 7.7700 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :—

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टयर	किस्म
1	मदनसिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार	बावड़ी बरसिंगा	214/3	1.9425 हैक्टेयर	बी—4
2	खेतसिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार	बावड़ी बरसिंगा	214/3	1.9425 हैक्टेयर	बी—4
3	सोहनसिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार	बावड़ी बरसिंगा	214/3	1.9425 हैक्टेयर	बी—4
4	जेठूसिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार	बावड़ी बरसिंगा	214/3	1.9425 हैक्टेयर	बी—4

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 2 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग—अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा।नीचे मुतालिक बाबत् खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.12.2024 को जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुत्फरिक मिजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।